



2026: AHC: 33493-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29856/2025**

गिरिराज पांडे याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: स्वयं (व्यक्तिगत रूप से)

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), सुशील कुमार सिंह, उग्रसेन कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत हेतु दायर की गई है:-
"1. प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें ताकि थाना- नैनी, जिला- प्रयागराज में बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता), 2023 की धारा 319(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(2) के तहत पंजीकृत केस क्राइम संख्या 459/2025 की निष्पक्ष और न्यायसंगत विवेचना सुनिश्चित की जा सके, तथा आरोपी-प्रतिवादी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



II. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

III. याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया कि वह वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि इस मामले में प्राथमिकी (FIR) 08.09.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से मामले की विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय प्रयागराज, जिला प्रयागराज के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकता है, और यदि ऐसा आवेदन पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय प्रयागराज के समक्ष दिया जाता है, तो पुलिस आयुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, न्यायसंगत और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"